प्रेस नोट ***26/02/2026***

विजिलेन्स टीम के साथ हातापाई करने वाले 02 नफर अभियुक्तगण गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के द्वारा जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था बराये रखने हेतु अपराध नियत्रंण के उद्देश्य से अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व **अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार** के कुशल पर्यवेक्षण व **क्षेत्राधिकारी नगर श्री क्रिश राजपूत** के कुशल निर्देशन में तथा **थानाध्यक्ष बसन्त लाल थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ** के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 26.02.2026 को समय करीब 12.05 बजे विजिलेन्स टीम के साथ हातापाई करने वाले 02 नफर अभियुक्तगण **1. इस्तेयाक अहमद पुत्र स्व0 सफीउल हसन सा0 डोमनपुरा गोलवा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ उम्र करीब 40 वर्ष 2. मोहम्मद मुर्तजा पुत्र नुरूल हसन सा0 डोमनपुरा गोलवा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ उम्र करीब 56 वर्ष** को उ0नि0 हरिकेश यादव व उ0नि0 शहजाद जमां खान मय हमराह आवश्यक पुलिस बल के मुखबीर खास की सूचना के आधार पर सलेमपुरा मोड़ थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ से गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियुक्त के सम्बन्ध में थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ में गिरफ्तारी के आधार पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➢ **घटना का संक्षिप्त विवरण –** उल्लेखनीय है कि मुहल्ला आजाद नगर थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ में दिनांक 24.02.2026 को समय 16.00 बजे विजिलेन्स टीम पर सराकरी कार्य के दौरान हाथापाई किया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 0023/2026 धारा 3(5)/121(1)/131/132/304(2)/317(2)/324(4) बी0एन0एस0 बनाम इम्तेयाज, मुर्तजा आदि 15-20 अन्य लोगो के अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा घटना के बाद से ही नामजद अभियुक्त गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहे थे तथा पुलिस द्वारा लगातार दबीश दी जा रही थी। आज मुखबीर खास की सूचना क आधार पर पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी कर सलेमपुरा मोड़ से निम्न अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया जिसे रिमाण्ड हेतु माननीय न्यायीक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

➢ गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. **इस्तेयाक अहमद पुत्र स्व0 सफीउल हसन सा0 डोमनपुरा गोलवा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ उम्र करीब 40 वर्ष**
2. **मोहम्मद मुर्तजा पुत्र नुरूल हसन सा0 डोमनपुरा गोलवा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ उम्र करीब 56 वर्ष**

➢ पंजीकृत अभियोग

मु.अ.सं. 0023/2026 धारा 3(5)/121(1)/131/132/304(2)/317(2)/324(4) बी0एन0एस0 थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ।

➢ गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 हरिकेश यादव, थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ
2. उ0नि0 शहजाद जमां खान थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ
3. हे0 का0 राजेन्द्र सिंह बादल, थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ

4. हे0का0 मनोज कुमार सिंह थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ
5. हे0का0 अखिलेश यादव थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ
6. का0 रविकान्त यादव थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ

साइबर टीम द्वारा पीड़ित के खाते में 14,943/- धनराशि वापस करने के संबंध–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी, अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार जी के निर्देशन में साइबर फ्रॉड रोकथाम व जागरूकता के तहत चलाए जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेंद्र सिंह व प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमेंद्र कुमार सिंह व अपराध निरीक्षक श्री मोतीलाल पटेल के कुशल नेतृत्व में थाने पर साइबर टीम द्वारा साइबर पुलिस पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाया गया था आवेदक सत्येन्द्र यादव निवसी अमिला थाना घोसी जनपद मऊ के द्वारा इन्वेस्टमेन्ट करने के नाम पर साइबर फ्रॉड कर लिया था जिसके संबंध में आवेदक द्वारा साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज की गई थी| जिसमे साइबर टीम घोसी द्वारा कार्रवाई करके आवेदक सत्येन्द्र यादव निवसी अमिला र थाना घोसी जनपद मऊ को फ्रॉड की संपूर्ण धनराशि होल्ड कराई गई थी जिसके तहत पीड़ित को दिनांक 26.02.2026 को 14,943/-रुपये वापस कराया गया।

थाना घोसी में नियुक्त साईबर टीम–
1-उपनिरीक्षक प्रकाश सिंह (नोडल अधिकारी)
2-उपनिरीक्षक दिनेश यादव (सहायक नोडल अधिकारी)
3- हेड ऑपरेटर अरविंद यादव
4-महिला आरक्षी काजल सिंह
5-महिला आरक्षी पुष्पलता पांडे

साइबर टीम द्वारा पीड़ित के खाते में 10,000/- धनराशि वापस करने के संबंध में -

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी, अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार जी के निर्देशन में साइबर फ्रॉड रोकथाम व जागरूकता के तहत चलाए जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी शीतला प्रसाद पाण्डेय जी व थाना प्रभारी श्री प्रमोद कुमार के कुशल नेतृत्व में थाने पर साइबर टीम द्वारा साइबर पुलिस पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाया गया था आवेदक अजीत यादव पुत्र शिवनाथ यादव सा0 टडवा पलिया थाना रानीपुर के द्वारा गलत यूपीआई के माध्यम से साइबर फ्रॉड कर लिया था जिसके संबंध में आवेदक द्वारा साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज की गई थी| जिसमे साइबर टीम रानीपुर द्वारा कार्यवाई करके आवेदक अजीत यादव पुत्र शिवनाथ यादव सा0 टडवा पलिया थाना रानीपुर की फ्रॉड धनराशि होल्ड कराई गई थी जिसके तहत पीड़ित को दिनांक 26.02.26 को 10,000/-रुपये वापस कराया गया।

थाना रानीपुर में नियुक्त साईबर टीम–

1-उपनिरीक्षक रामाज्ञा कुमार (नोडल अधिकारी)

2-म0उपनिरीक्षक सुधा अग्रहरि (सहायक नोडल अधिकारी)

3- हेड ऑपरेटर अब्दुल रब

4-महिला आरक्षी प्रियंका मिश्रा

थाना सरायलखन्सी क्षेत्रान्तर्गत अदरी मोड के पास अभियुक्तो द्वारा जहरखुरानी करके पीडिता से आभूषण चोरी करने की घटना मे सम्मिलित 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 2 अदद मंगलसूत्र, 3 अदद अंगूठी, 1 अदद सिकुड़ी, 1 अदद कनफूल, 2 अदद कान की लरी, 2 अदद पायल व एक जोड़ी मीना बरामद–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के द्वारा अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री क्रिस राजपूत के कुशल निर्देशन मे व प्रभारी निरीक्षक थाना सरायलखंसी श्री संजय सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा अदर मोड के पास अभियुक्तो द्वारा जहरखुरानी करके पीडिता से आभूषण चोरी करने की घटना मे सम्मिलित 04 नफर अभियुक्त गण 1.अजय कुमार राम पुत्र सुजीत राम निवासी नवका टोला बड़गांव थाना बगहा जनपद बेतिया बिहार हाल पता जिला पंचायत भवन मऊ थाना कोतवाली जनपद मऊ 2. गोलू पुत्र महावीर प्रसाद निवासी सुरजकुण्ड अम्बेडकर नगर थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर हाल पता मुंशीपुरा थाना कोतवाली जनपद मऊ 3. रामू पुत्र जंगी निवासी मुंशीपुरा थाना कोतवाली जनपद मऊ हाल पता कंधेरी आवास थाना सरायलखंसी जनपद मऊ 4. राजू पुत्र स्व0 राजदेव निवासी मुंशीपुरा थाना कोतवाली जनपद सम्बन्धित मु0अ0सं0 65/26 धारा 123/303(2)/317(2) BNS मे गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से 2 अदद मंगलसूत्र, 3 अदद अंगूठी, 1 अदद सिकुड़ी, 1 अदद कनफूल, 2 अदद कान की लरी, 2 अदद पायल व एक जोड़ी मीना बरामद किया गया।

उल्लेखनीय है कि अदरी मोड के पास अभियुक्तो द्वारा जहरखुरानी करके पीडिता से आभूषण चोरी करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध मे वादी मुकदमा चन्दन सिंह पुत्र सुरेश बहादुर सिंह नि0 सिधवल थाना हलधरपुर मऊ के लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 20.02.2026 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 65/2026 धारा 123/303(2) बीएनएस बनाम 02 व्यक्ति पंजीकृत किया गया था। जिसके क्रम मे पुलिस टीम व एसओजी टीम व सर्विलांस टीम के द्वारा इलेक्ट्रानिक साक्ष्यो व मुखबीरी का प्रयोग करते हुए दिनांक 26.02.2026 को उ0नि0 बाली मौर्या मय हमराह हे0का0 मनोज यादव, का0 सूरज चौहान व का0 शशिकान्त के द्वारा सिकटिया ओवर ब्रिज के पास से 04 नफर अभियुक्तगण 1.अजय कुमार राम पुत्र सुजीत राम निवासी नवका टोला बड़गांव थाना बगहा जनपद बेतिया बिहार हाल पता जिला पंचायत भवन मऊ थाना कोतवाली

जनपद मऊ, 2. गोलू पुत्र महावीर प्रसाद निवासी सुरजकुण्ड अम्बेडकर नगर थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर हाल पता मुंशीपुरा थाना कोतवाली जनपद मऊ 3. रामू पुत्र जंगी निवासी मुंशीपुरा थाना कोतवाली जनपद मऊ हाल पता कंधेरी आवास थाना सरायलखंसी जनपद मऊ 4. राजू पुत्र स्व0 राजदेव निवासी मुंशीपुरा थाना कोतवाली जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 123/303(2)/317(2) बीएनएस मे गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के कब्जे से उनके कब्जे से 2 अदद मंगलसूत्र, 3 अदद अंगूठी, 1 अदद सिकुड़ी, 1 अदद कनफूल, 2 अदद कान की लरी, 2 अदद पायल व एक जोड़ी मीना बरामद होना। कड़ाई से पूछताछ करने पर बताए कि साहब हम लोग भोली भाली औरतों को बातचीत के दौरान लालच दिलाकर नशीला पदार्थ संुघाकर उनके गहने निकलवा लेते हैं अदरीमोड के अलावा हम लोग रतनपुरा, रसडा, मोहम्दाबाद , मधुबन , गाजीपुर तथा आजमगढ में भी घटना किये वो सामान भी इसी में है तथा कुछ सामान बेच दिये है। गिरफ्तार अभियुक्तो को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

नाम पता अभियुक्तगण -

1.अजय कुमार राम पुत्र सुजीत राम निवासी नवका टोला बड़गांव थाना बगहा जनपद बेतिया बिहार हाल पता जिला पंचायत भवन मऊ थाना कोतवाली जनपद मऊ, उम्र करीब 30 वर्ष

2. गोलू पुत्र महावीर प्रसाद निवासी सुरजकुण्ड अम्बेडकर नगर थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर हाल पता मुंशीपुरा थाना कोतवाली जनपद मऊ उम्र करीब वर्ष 28

3. रामू पुत्र जंगी निवासी मुंशीपुरा थाना कोतवाली जनपद मऊ हाल पता कंधेरी आवास थाना सरायलखंसी जनपद मऊ उम्र करीब 40 वर्ष

4. राजू पुत्र स्व0 राजदेव निवासी मुंशीपुरा थाना कोतवाली जनपद उम्र करीब 40 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

अभियुक्तो के कब्जे से 2 अदद मंगलसूत्र, 3 अदद अंगूठी, 1 अदद सिकुड़ी, 1 अदद कनफूल, 2 अदद कान की लरी, 2 अदद पायल व एक जोड़ी मीना बरामद होना बरामद होना

अपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 42/26 धारा 123/303(2)/317(2) बीएनएस थाना हलधरपुर

2.मु0अ0सं0 65/2026 धारा 123/303(2)/317(2) बीएनएस थाना सरायलखंसी

3. मु0अ0सं0 53/2026 थाना मधुबन

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 बाली मौर्या
2- हे0का0 मनोज यादव
3- का0 सूरज चौहान
4- का0 शशिकान्त